प्रशासन गांवों के संग अभियान -2023

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं शिविर प्रभारी तिंवरी

पीठासीन अधिकारीः–प्रमोद सिरवी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 77 /2022

प्रार्थीः– 1 नवलाराम पुत्र श्री रताराम जाति सांसी, निवासी पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

2 गोमाराम पुत्र श्री रताराम जाति सांसी, निवासी पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. श्रीमान तहसीलदार तिंवरी

प्रार्थना पत्र 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– प्रार्थी की ओर से–श्री राजेन्द्र चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से –सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 19.05.2023

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:– तहसील तिंवरी के ग्रम पांचला खुर्द के खसरा नम्बर 487/2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 487/2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था जिसमें प्रार्थीगण ने दिनांक 18.1.2019 को 8 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पण की तथा रास्ता राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 487/3 के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नंम्बर 487/2 में वर्तमान में समर्पण किये हुए स्थान पर मोके पर रास्ता चल रहा है। उसी अनुसार हल्का पटवारी को मौके पर चल रहे रास्ते एवं समर्पण किये गये रास्ते अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करनी थी परन्तु हल्का पटवारी मौके के विपरित व समर्पण किये गये रास्तें के विपरित तरमीम करते हुए रास्ता खसरा नम्बर 487/2 की सीमा पर लाकर छोड दिया जबकि रास्ता खसरा नम्बर 487/2 के मध्य चल रहा है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा समर्पण किये गये रास्ते की तरमीम मौके के विपरित हो रखी है। तहसील तिंवरी के ग्रम पांचला खुर्द के खसरा नम्बर 487/3 रकबा 0.0647 हैक्टैयर, व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर बाबत ऑनलाइन नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग
पंचायत समिति तिंवरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये गये। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान जसनाथबाडी में पेश हुई। तहसीलदार तिंवरी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार तिंवरी ने तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की है। साथ ही प्रार्थीगण व अन्य मौतबिरान ने तरमीम दुरूस्ती हेतु सहमति दी हैं।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की सुनी गई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तहसील तिंवरी के ग्रम पांचला खुर्द के खसरा नम्बर 487/3 रकबा 0.0647 हैक्टैयर, व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर बाबत ऑनलाइन नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील तिंवरी के ग्रम पांचला खुर्द के खसरा नम्बर 487/3 रकबा 0.0647 हैक्टैयर, व खसरा नम्बर 487/2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि बाबत् तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 19.5.2023 अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जावे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

19/05/23

सहायक कलेक्टर एवं
शिविर प्रभारी तिंवरी

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग
पंचायत समिति तिंवरी

आज दिनांक 19.05.23 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

(कैम्प स्थल – भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, ग्रा.पं. पांचलाखु

19/05/23

सहायक कलेक्टर एवं
शिविर प्रभारी

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग
पंचायत समिति तिंवरी

Scanned with OKEN Scanner